विवरणिका Prospectus

2024-25

तमसो मा ज्योतिर्गमय
असतो मा सद्गमय
गुलाब सिंह हिन्दू कालेज
चान्दपुर-स्याऊ (बिजनौर)

संस्थापित : 1962

2123

स्व. श्री राजा गुलाब सिंह जी
(स्याऊ)

गुलाब सिंह हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय

चान्दपुर-स्याऊ (बिजनौर) उ० प्र०

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ०प्र०) से सम्बद्ध

विवरणिका मूल्य: रुपये दो सौ पचास

महाविद्यालय संस्थापिका

स्वनामधन्य श्रीमती रानी कृष्णा कुमारी जी

(धर्मपत्नी राजा गुलाब सिंह जी)

(पुण्य तिथि : 20 सितम्बर, 1979)

स्व० कुँवर महीपाल सिंह जी (बुडगरा)

(भूतपूर्व आजीवन अध्यक्ष - महाविद्यालय प्रबन्ध समिति)

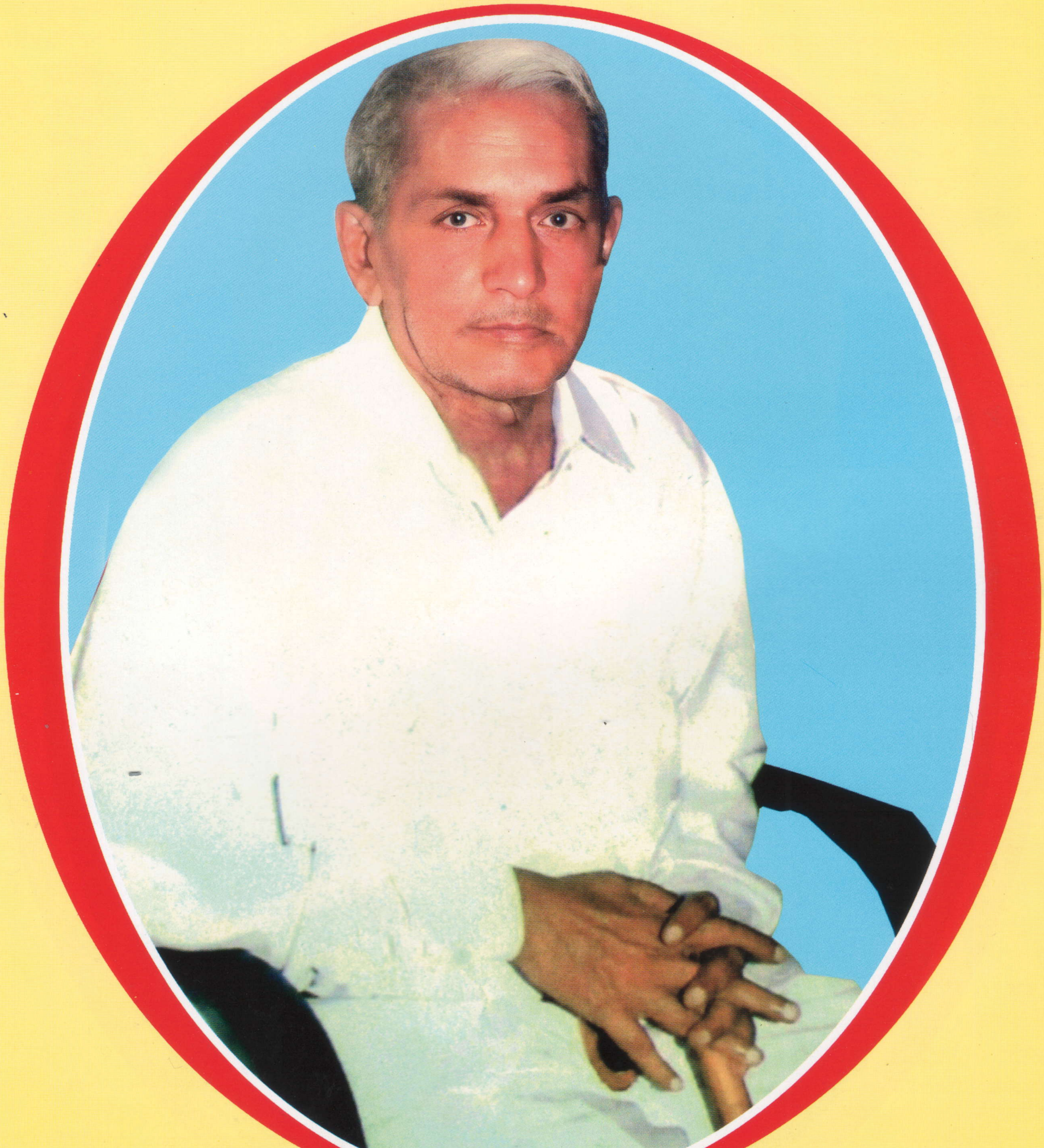

(जीवनकाल : 02.08.1935 - 10.12.2009)

सन्देश

प्रिय छात्र/छात्राओं,

शिक्षण सत्र 2024-2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षण संस्थाएं कार्यशाला होती हैं, जहाँ शिक्षार्थी अपने सुन्दर भविष्य का निर्माण एवं भावी विषमतम परिस्थितियों से जूझने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। हमारा महाविद्यालय इसके लिए तत्पर और संकल्पबद्ध है। आप महाविद्यालय में प्रवेश पाकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठायेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। शिक्षा एक सशक्त उपाय की तरह है , जो व्यक्ति की जीविका का साधन बनने के साथ-साथ उसके सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त करती है। सदैव याद रहे कि समय अमूल्य है, आप अनुशासित होकर समय का सर्वोतम सदुपयोग कर कठोर परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जीवन में उद्यमशील एवं पुरूषार्थी बनकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर सदैव तत्पर रहें, सफलता निश्चित है।

नयी शिक्षा नीति के अनुकूल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसका लक्ष्य छात्रों के लिये शिक्षा को अधिक इच्छोन्मुखी , रोजगारोन्मुखी और अनुसंधानोन्मुखी बनाना है, जिससे छात्र अपने विषयानुरूप दोहरी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस अवसर का अधिकतम लाभ ले पायेंगे। नये पाठ्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश विश्व विद्यालय की बेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

साथ ही , यदि आप इस महाविद्यालय में प्रवेश लेकर आदर्श एवं सफल विद्यार्थी बनने के लिए तत्पर एवं समर्पित रहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र, मैं स्वयं एवं सम्पूर्ण आचार्यकुल सहयोग के लिए सदैव आपके साथ हैं। महाविद्यालय परिवार सभी नये छात्रों का स्वागत करते हुए आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

प्रो० साधना
प्राचार्या

महाविद्यालय प्रबन्ध तन्त्र

कुँवर धीरेन्द्र प्रताप सिंह	आजीवन अध्यक्ष
ठाकुर चन्द्रवीर सिंह गहलौत (एडवोकेट)	उपाध्यक्ष
श्री प्रशान्त कुमार (एडवोकेट)	सचिव/प्रबन्धक
श्री नवनीश कुमार	उपसचिव/उपप्रबन्धक
श्री बलकरन सिंह (एडवोकेट)	कोषाध्यक्ष
श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)	सदस्य
श्री भूपेन्द्र सिंह उर्फ बाटा	सदस्य
डॉ० अरविन्द शर्मा (ज्योतिषाचार्य)	सदस्य
श्री कुश कुमार सिंह (एडवोकेट)	सदस्य
श्री विजय कुमार अग्रवाल	सदस्य (नामित)
श्री गजराज सिंह	सदस्य (नामित)

महत्वपूर्ण पद

प्रोफे० अनिल कुमार वर्मा	अकादमिक- निदेशक

महाविद्यालय की महत्वपूर्ण तिथियाँ

20 सितम्बर : महाविद्यालय संस्थापिका स्व. रानी कृष्णा कुमारी जी की पुण्यतिथि

10 दिसम्बर : आजीवन अध्यक्ष स्व० कुँवर महीपाल सिंह जी (बुडगरा) की पुण्यतिथि

16 फरवरी : राजा गुलाब सिंह जी रईस की जन्म तिथि (जयन्ती)

गुलाब सिंह हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चान्दपुर-स्याऊ

प्रगति की ओर बढ़ते कदम

गुलाब सिंह हिन्दू महाविद्यालय की स्थापना स्वनामधन्य पूजनीया स्व० रानी कृष्णा कुमारी जी ने अपनी सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति देकर अपने पति स्व० राजा गुलाब सिंह जी की युवावस्था में ही आकस्मिक निधन के बाद उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतू सन् 1962 ई० में अपने स्याऊ स्थित भवन में की थी। विकास और विस्तार को ध्यान में रखकर 6 दिस० 1965 को इसे वर्तमान स्थल पर स्थानान्तरित किया गया। रानी साहिबा अपनी आखिरी साँस तक महाविद्यालय के विकास में एक तपस्विनी की तरह समर्पित रहीं। स्व० रानी कृष्णा कुमारी जी महाविद्यालय की संस्थापिका एवं महाविद्यालय के प्रबन्धन की आजीवन अध्यक्षा भी रहीं। 20 सितम्बर, 1979 को रानी जी ने महाविद्यालय के अतिथि भवन में अपना शरीर त्यागा। उन्होंने अपनी रजिस्ट्रर्ड ट्रस्ट डीड के पैरा न० 02 के अनुरूप अपने निकटतम सम्बन्धी परम स्नेही चौ० पृथ्वीराज सिंह को तथा उनके बाद उनके सुयोग्य पुत्र कुँवर महीपाल सिंह जी को कॉलिज प्रबन्धन की बागडोर सौंपी थी। कुँवर महीपाल सिंह जी जीवन पर्यन्त महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के आजीवन अध्यक्ष रहे, जिन्हें प्रकृति के क्रूर हाथों ने 10 दिसम्बर, 2009 को हमसे छीन लिया। उनके स्थान पर परम श्रद्धेय बाबू बलचरन सिंह जी निवासी मोरना महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे। दिनांक 31.08.2011 से स्व० कुँवर महीपाल सिंह जी के सुयोग्य कनिष्ठ सुपुत्र श्री कुंवर धीरेन्द्र प्रताप सिंह आजीवन अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में गठित महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय के सुप्रबन्धन एवं चहुँमुखी विकास को समर्पित है।

रानी कृष्णा कुमारी जी द्वारा रोपा गया शिक्षा का वह नन्हा पौधा विकसित होकर वट वृक्ष बनने की दिशा में निरन्तर अग्रसर है तथा सम्पूर्ण-चान्दपुर क्षेत्र में उच्च शिक्षा का यह सर्वसुलभ प्रमुख केन्द्र बना हुआ है। महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली 2 (F) एवं 12 (B) के अन्तर्गत स्थायी रूप से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा स्थायी रूप से अनुदानित/मान्यता प्राप्त तथा एम.जे.पी. रूहेलखण्ड वि.वि. बरेली (उ०प्र०) से सम्बद्ध है। इसके सभी पाठ्यक्रम पूर्णतया विधिमान्य हैं।

प्रारम्भिक वर्षों में महाविद्यालय में मात्र स्नातक कक्षाओं के विषयों का ही अध्ययन होता था। वर्ष 1982 में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों में चिरप्रतीक्षित स्नातकोत्तर कक्षायों प्रारम्भ हुई। सत्र 1999-2000 में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत भूगोल, हिन्दी और अंग्रेजी विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायों की मान्यता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश शासन की कुछ नई शर्तो के कारण भूगोल, हिन्दी व अंग्रेजी में एम० ए० की कक्षायें विगत सत्रों में स्थगित रही, किन्तु सत्र 2015-16 से इन्हें संचालित करने की एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली से अनुमति प्राप्त होने पर वर्तमान में कक्षाएं संचालित है। इसी के साथ-साथ विश्वविद्यालय से उर्दू, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर स्तर पर तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय एवं बी०ए० स्तर पर गृह विज्ञान व शिक्षा शास्त्र में भी कक्षाऐं प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात सत्र 2019-20 में स्थायी मान्यता भी प्राप्त कर चुकी है।

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष प्रत्येक विषय में विभागीय छात्र-परिषदों का गठन किया जाता है, जिनके माध्यम से विभागीय सेमिनार/संगोष्ठियाँ, भाषण प्रतियोगितायें, अतिथि प्राध्यापकों के व्याख्यान व भ्रमण/टूअर्स आदि कार्यक्रम सत्र के दौरान आयोजित किये जाते हैं। 17 व18 फरवरी, 2007 को महाविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक द्वि-दिवसीय अखिल भारतीय सेमीनार का आयोजन किया गया था। महाविद्यालय की यह एक अद्वितीय अकादमिक उपलब्धि थी। वर्ष भर के अनुशासित अध्ययन-अध्यापन के उपरान्त भयमुक्त, नकलमुक्त एवं पारदर्शी वातावरण में विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन इस महाविद्यालय की अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के आन्तरिक मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था है। इस हेतू समय-समय पर आवश्यकतानुसार सभी विभागों में ''आन्तरिक मूल्याकंन परीक्षा'' आयोजित की जाती है, इसके परिणामों से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है। उन्हें उनकी उत्तर-पुस्तिका अवलोकित करायी जाती हैं तथा शिक्षार्थियों को उनके अन्दर की कमियों को बताकर उनके अकादमिक स्तर को प्रोन्नत किया जाता है। शिक्षार्थियों के ज्ञान के सर्वागीण विकास हेतू विभिन्न विभागों में विषयों पर सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान मालायें व संगोष्ठियाँ आदि आयोजित की जाती हैं। इन कार्यों में विभिन्न विभागों की छात्र-परिषदों का विशेष सक्रिय योगदान रहता है। विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा, नेतृत्व प्रबन्ध क्षमता तथा उनके ज्ञान का यथेष्ट मूल्यांकन विभागीय प्राध्यापकों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। महाविद्यालय द्वारा ऐसे आयोजनों में शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतू उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उन्हें फीडबैक उपलब्ध कराया जाता है।

प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग

वर्तमान समय में महाविद्यालय में प्राचार्य सहित कुल 33 सुयोग्य प्राध्यापक/प्राध्यापिकायें हैं जिनमें 24 स्थायी, 09 स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत एवं शेष अस्थायी-अंशकालिक रूप से प्रबन्धकीय व्यवस्था में नियुक्त हैं। सभी प्राध्यापक यू०जी०सी० योग्यताधारी हैं।

शिक्षणेतर कर्मचारी संवर्ग के अन्तर्गत कार्यालय में 03 व भूगोल में एक लैब सहायक सहित कुल 04 लिपिक व कुल 05 कार्यपालक हैं। इसके अतिरिक्त 05 लिपिक व 10 कार्यपालक भी अस्थायी/अंशकालिक रूप से कार्यरत हैं। पुस्तकालय को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत पुस्तकालयाध्यक्ष, कैटलॉगर व दो कार्यपालकों की व्यवस्था किये जाने की योजना है।

शोध निर्देशन

हिन्दी में प्रो० साधना, समाजशास्त्र में प्रो० अनिल कुमार वर्मा, राजनीति विज्ञान में प्रो० दिनेश सिंह एवं भूगोल विषय में प्रो० महीपाल सिंह कई वर्षों से शोध कार्य करा रहे हैं और अनेक शोधार्थी इनके योग्य निर्देशन में पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं।

स्नातक स्तर पर अध्यापन के विषय

एक शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य उस सत्र के दो सेमेस्टर से है।

बी.ए./बी.कॉम के छात्र/छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण-निर्देश :

1. बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर-1 वैकल्पिक प्रश्नपत्र प्रत्येक छात्र को किसी भी चौथे विषय (अभ्यर्थी द्वारा तीन प्रमुख विषयों के अतिरिक्त से चयनित करना होगा।
2. तीसरे मुख्य विषय तथा माइनर-1 वैकल्पिक प्रश्नपत्र का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम एक कम अनिवार्यत: अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से है
3. मुख्य विषयों तथा माइनर-1 के अन्तर्गत बैकल्पिक प्रश्नपत्रों का उत्तीर्ण अंक 33 प्रतिशत होगा।
4. माइनर-2 के अंतर्गत कौशल-विकास व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत चारों प्रश्नपत्रों का उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होगा।
5. माइनर-3 के अंतर्गत सहगामी पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण अंक 40 होगा।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई व्यवस्था के अंतर्गत 03 विषयों वाले त्रिवर्षीय कार्यक्रमों में छात्रों द्वारा एक वर्ष (दो सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूरा करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास, दो वर्ष (चार सेमेस्टर) का पाठ्यक्रम पुरा करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की की अनुमति होगी और तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) का पाठ्यक्रम पूरा करने पर ही स्नातक उपाधि प्राप्त होगी। विद्यार्थी का निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगारपरक प्रशिक्षण का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुन: प्रवेश ले सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कला संकाय को दो भागों में बांटा गया है-

प्रथम कला संकाय (Art's Faculty) विषय-समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान

द्वितीय भाषा संकाय (Language Faculty) विषय-हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू

वाणिज्य संकाय (Commerce Faculty) विषय-ग्रुप 'ए', ग्रुप 'बी', ग्रुप 'सी'

प्रवेश के समय विद्यार्थियों को तीन मुख्य विषय आवंटित किये जायेंगे, जिस छात्र के पास दो भाषा के विषय हैं वह छात्र अब भाषा संकाय का विद्यार्थी माना जायेगा तथा जिसके पास दो अन्य विषय या एक अन्य विषय है, वह कला संकाय का विद्यार्थी माना जायेगा।

नोट:- ध्यातव्य है कि महाविद्यालय में गृह विज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कक्षाएं सत्र 2015-16 से प्रारम्भ हो चुकी हैं। इन विषयों में प्रवेश स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत ही होगा।

विशेष नोट:- शिक्षा सेवा क्षेत्र में हिन्दी साहित्य के साथ संस्कृत का अथवा दो सामाजिक विषयों का चयन अनिवार्य है।

परास्नातक विषय:- राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र (वित्तपोषित विषय)

अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, भूगोल, उर्दू (स्ववित्तपोषित विषय)

प्रवेश हेतू न्यूनतम अर्हताऐं

बी०ए० एवं बी० कॉम० प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर — 1. यू.पी. इलाहाबाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या अन्य कोई समकक्ष परीक्षा जिसे एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली (उ०प्र०) द्वारा वर्ष में प्रवेश हेतू मान्यता प्रदान की गयी हो।

एम०ए० प्रथम सेमेस्टर — इस महाविद्यालय अथवा रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य महाविद्यालय से स्नातक की परीक्षा यूनतम 45% अकों से उत्तीर्ण की हो।
अनुसुचित जाति एवं जनजाति हेतु न्यूनतम अंक सीमा 40 प्रतिशत निर्धारित है।

शैक्षणिक सत्र, प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं प्रक्रिया

1 . विगत वर्ष से अपेक्षित है कि स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक प्रवेशार्थियों को प्रवेश हेतू आवेदन ऑन लाईन करना अनिवार्य होगा। ऑन लाईन आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियम व शर्तों के अनुरूप ही किया जायेगा। ऑन लाईन आवेदन के बिना इन कक्षाओं में प्रवेश सम्भव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश महाविद्यालय के सूचना पट पर लिखे जाते रहेंगे। इसलिये सूचना पट का अवलोकन अनवरत करते रहें। यदि किसी तकनीकी कारण से बी०ए० एवं बी०कॉम० प्रथम एव एम०ए० प्रथम वर्ष की कक्षाओं में ऑन लाईन पंजीकरण प्रक्रिया बाधित हो जाती है तो उस स्थिति में प्रवेश पूर्व की भांति ही किये जायेंगे।

2 . स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी की चाहें उसने इस महाविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण ही है या किसी अन्य महाविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर यहाँ आ रहे है, कार्यालय से विवरणिका *(Prospectus)* प्राप्त करने हेतू निर्धारित शुल्क रू० 250/- जमा करना होगा। विवरणिका पत्रिका के अन्त में आवेदन पत्र संलग्न है। विवरणिका को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात सभी प्रविष्टियां पूर्ण कर निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा। किसी भी दशा में अपूर्ण आवेदन पत्र पत्र प्रवेश समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ गत परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियां, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र व टी.सी. भारांक प्रमाण पत्र आदि संलग्न होना चाहिए।

3 . प्रव्रजन प्रमाण-पत्र *(Migration Certificate)* मूल रूप से उन विद्यार्थियों के लिये जमा करना आवश्यक है, जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा यू०पी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से उत्तीर्ण की है। इसी प्रकार स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के वे अभ्यर्थी जिन्होंने एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से परीक्षायें उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें भी प्रवजन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, ऐसे विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय का नामांकन पत्र भी भरना होगा।

4 . विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश अभ्यर्थी की योग्यता तथा साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश समितियों द्वारा किये जायेंगे।

5 . महाविद्यालय में प्रवेश महाविद्यालय के प्रवेश सम्बन्धी नियमों, शासन व एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से समय-समय पर प्राप्त नियमों एवं निर्देशों के अनुसार ही किये जायेंगे।

6 . यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहे तो महाविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा से छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी भी अवस्था में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में छूट नहीं दी जा सकती।

7 . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में राजकीय आदेशों का पालन होगा।

8 . जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश -समिति के द्वारा प्रवेश के योग्य समझा जायेगा उनके नाम की सूचना सूचनापट्ट *(Notice Board)* पर लगा दी जायेगी। सूचनापट्ट पर लगी सूचना में नाम आ जाने पर निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी को कार्यालय में शुल्क जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उनका नाम प्रवेश हेतु योग्यता सूची से पृथक कर दिया जायेगा।

9 . यदि अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा चुका है अथवा उसके विरूद्ध गंभीर अपराधिक अभियोग न्यायालय में विचाराधीन या जिसे रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय से उद्दण्डता, अभद्रता, अशिष्टता या अनुशासनहीनता के आरोप के फलस्वरूप निकाल दिया गया है और उसने तथ्यों को छिपाकर किसी तरह प्रवेश ले लिया है, तथ्यों के स्पष्ट हो जाने पर ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

10. अनुत्तीर्ण विद्यार्थी चाहे वह इस संस्था अथवा अन्य किसी संस्था से सम्बन्धित है, उसे किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

11. प्रवेश के लिए मैरिट सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल का दो अंक (02 प्रतिशत) घटाकर प्रवेश सूची तैयार की जायेगी

12. प्रवेश के इच्छुक किसी अभ्यर्थी का आगामी कक्षा में प्रवेश लेने पर यदि एक से तीन वर्षों का गैप (अन्तराल) आ रहा है, तो उसे प्रवेश प्रार्थना-पत्र के साथ गैप का शपथ-पत्र *(Affidavit)* संलग्न करना होगा।
13. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय प्रार्थी आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र लेकर उपस्थित हों।
14. बी.ए. प्रथम, बी० कॉम० प्रथम एवं एम०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अन्तिम तिथियाँ विश्वविद्यालय निर्देशों के अनुरूप होगी।
15. शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु सभी जाति-वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय ही अपने जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। टी. सी. *(Transfer Certificate)* की मूल प्रति जमा करनी होगी।
16. एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा निर्गत प्रवेश नियमावली 2019-20 के खण्ड 'क' के बिन्दु 19 (क) से यह सुस्पष्ट है कि विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश देने से रोका जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रवेश समिति का निर्णय विद्यार्थी को मान्य होगा।
17. विश्वविद्यालय परिनियमावली के खण्ड 'क' के बिन्दु 19 (ख) के अनुसार वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्री शीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुकदमें में शामिल है, को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
18. उक्त परिनियमावली के बिन्दु 19 (ग) के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय में अनुशासन बनाने रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, भले ही मामला जैसे भी हो।
19. विश्वविद्यालय प्रवेश परिनियमावली के खण्ड क के बिन्दु 19 (ड) में स्पष्ट किया हुआ है कि जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्रोक्टोरियल स्टाफ सहित महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागिरी, रैगिंग अथवा महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
20. उक्त परिनियमावली के ही खण्ड 'ख' के बिन्दु 11 के अनुसार प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित एवं अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताये प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।
21. महाविद्यालय एवं छात्रहित में आवश्यकतानुसार प्रवेश के नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्राचार्य के अधिकार सुरक्षित हैं।

नामांकन-पत्र, प्रव्रजन प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र और चरित्र प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में :-

1. बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को तथा एम.जे.पी. रूहलेखण्ड विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण होकर आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय अथवा प्रवेश ले लेने के पश्चात नामांकन पत्र भरकर महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।
2. प्रव्रजन प्रमाण-पत्र *(Migration Certificate)* मूल रूप में अभ्यर्थी को कार्यालय में जमा करना होगा।
3. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु पूर्व विद्यालय या महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) महाविद्यालय में जमा करना होगा, जहाँ प्रवेश लिया जाना है। इस प्रमाण-पत्र की फोटो स्टेट कापी प्रवेश प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।
4. छात्र या छात्रा को इस महाविद्यालय से केवल एक बार ही टी.सी.दी जा सकेगी।
5. महाविद्यालय से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना-पत्र मुख्य अनुशासक (चीफ प्रॉक्टर) से अग्रसारित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करें। चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना-पत्र भी केवल एक बार दिया जायेगा।

   नोटः- इस महाविद्यालय के छात्र/छात्रा को इसी महाविद्यालय की आगामी कक्षा में प्रवेश लेने के लिये आवेदन-पत्र में चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करने की आवश्कता नहीं है।

असतो मा सद्गमय
गुलाब सिंह हिन्दू कालेज
चान्दपुर-स्याऊ (बिजनौर)
संस्थापित : 1982

प्रवेश में आरक्षण *(Reservation)*

निम्नलिखित श्रेणी के छात्रों का निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर प्रवेश में आरक्षण होगा। यह आरक्षण सम्बन्धित श्रेणी की मैरिट के आधार पर मिलेगा।

(अ) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति	21% व 02% क्रमशः
(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग	27 %
(स) **EWS** (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	10 %

(द) दिव्यांग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रवेश में क्रमशः 03%, 02% तथा 01% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

नोटः- यदि किसी आरक्षण वर्ग की सीटों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसकी पूर्ति सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों से की जायेगी। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो स्थायी रूप से उत्तर-प्रदेश में निवास कर रहे हैं।

एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित भारांक :-

(अ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, खेलकूद में भागीदारी और खेल-कूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये भारांक .... 10 अंक

(ब) विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व .... 05 अंक

(स) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत/सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी .. 10 अंक

(द) एन.सी.सी. के 'सी' प्रमाण पत्र/जी-II प्रमाण पत्र .... 10 अंक

(य) एन.सी.सी. के 'बी' प्रमाण पत्र/जी-I प्रमाण पत्र .... 05 अंक

(र) एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें .... 10 अंक

(ल) एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें अथवा 240 घंटे अथवा 120 घंटे तथा एक शिविर .... 05 अंक

(व) 12वीं कक्षा स्तर तक एक स्काउट/गाईड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर .... 05 अंक

(स) प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत .... 10 अंक

(प) भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत .... 10 अंक

(ह) रोबर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण .... 05 अंक

नोटः- किसी भी स्थिति में प्रवेशार्थी को 10 अंक से अधिक "भारांक" नहीं दिये जायेंगे तथा शैक्षिक योग्यता व आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी।

प्रवेश की आवश्यकता शर्तें :-

1. प्रत्येक अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश *(Admission)* तब तक अस्थाई माना जायेगा (i) जब तक वह नियमानुसा महाविद्यालय के सभी शुल्क महाविद्यालय -कार्यालय में जमा नहीं कर देता। (ii) जब तक वह नियमित रूप से अपनी कक्षाउ में आना प्रारम्भ नहीं कर देता (iii) जब तक अपेक्षित सभी प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा नहीं कर देता। उक्त शर्तें पूर्ण कर ले पर ही प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। शर्तें पूर्ण न होने पर प्रवेश स्वयं निरस्त समझा जयेगा। प्रवेश के बाद भी यदि किर छात्र/छात्रा के व्यवहार तथा चरित्र के विषय में कोई असन्तोषजनक तथ्य मिलते हैं तो ऐसे छात्र/छात्राओं का प्रवेश रद्द कर दि जायेगा।

2. केवल संस्था के भूतपूर्व छात्रों को प्रयोगात्मक कक्षाओं में अध्ययन की अनुमति शिक्षण शुल्क तथा प्रयोगशाला शुल्क लेव दी जा सकती है।

तमसो मा ज्योतिर्गमय
असतो मा सदगमय
गुलाब सिंह हिन्दू कालेज
चान्दपुर-स्याऊ (बिजनौर)

राष्ट्रीय सेवा योजना *(N.S.S.)*

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयां (छात्र एवं छात्रा) हैं। इस योजना का लाभ केवल स्नातक स्तर के विद्यार्थी ही उठा सकते हैं। एन.एस.एस. में प्रवेश हेतु छात्र परियोजनाधिकारी डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह से तथा छात्रा परियोजनाधिकारी डॉ० मीनाक्षी चौहान से सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय कैडेट कोर *(N.C.C.)*

महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर के दो प्लाटून हैं, जिसमें एक प्लाटून छात्रों की तथा दूसरी छात्राओं की है जिसमें अधिकत 105 सीट हैं। केवल स्नातक कक्षाओं के छात्र/छात्राएं इसमें भर्ती हो सकते हैं। इच्छुक छात्र/छात्रायें एन.सी.सी. अधिकारी लेफ्ट प्रोफे० अशोक कुमार से एन.सी.सी. कक्ष में सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर स्थान पा सकते हैं।

खेल-कूद

महाविद्यालय में क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबाल, वॉलीबॉल, सॉफ्टबाल, नेटबॉल एवं एथलेटिक्स आदि खेलों क सुविधायें उपलब्ध हैं। महाविद्यालय में विशाल क्रीड़ा मैदान एवं दो बैडमिन्टन कोर्ट महाविद्यालय परिसर में हैं, जहां इन खेलों का अभ्या कराया जाता है। खेलकूद में रूचि रखने वाले छात्र/छात्रायें क्रीडा सचिव प्रोफे० अशोक कुमार, प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा एवं श्री सन् कुमार असि० प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा से सम्पर्क कर सकते हैं। हमारे महाविद्यालय की टीमों/खिलाड़ियों ने समय-समय प विश्वविद्यालयी, अन्तर्विश्वविद्यालयी एवं प्रान्तीय स्तरीय खेलों में प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2004 से 2008 तक एवं 2016 से 201 तक महाविद्यालय की पुरूष कबड्डी टीम अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिता में चैम्पियन रही है। महाविद्यालय की सॉफ्टबॉल, बेसबॉ एवं नेटबॉल महिला एवं पुरूष टीमें भी समय-समय पर अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिता में चैम्पियन टीम रही है।

दिव्यांग एवं वंचित समूह सहायता योजना-प्रकोष्ठ

शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में अनेक सुविधायें उपलब्ध है। विकलांग छात्र/छात्रायें दिव्यां सहायता प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ० जैनुल आबीदीन से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

समस्या निवारण प्रकोष्ठ

छात्रों की विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु महाविद्यालय में छात्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है, जिसक प्रभारी प्रोफे० दिनेश सिंह हैं। असंतुष्ट होने पर विद्यार्थी विश्वविद्यालय के शिकायत अधिकारी को अपनी शिकायत नियमानुसार भे सकते हैं।

चिकित्सा सुविधा

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। एक योग्य डॉक्टर की सेवायें छात्र/छात्राओं क उपलब्ध रहेंगी। इस सम्बन्ध में छात्र/छात्रायें डॉ० मीनाक्षी चौहान (प्रवक्ता, अर्थशास्त्र) से सम्पर्क करें, जिनके निर्देशन में चिकित्स सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

तमसो मा ज्योतिर्गमय
असतो मा सद्गमय
गुलाब सिंह हिन्दू कॉलेज
चान्दपुर-स्याऊ (बिजनौर)
संस्थापित : 1962

कैरियर गाइडेन्स एवं प्लेसमेन्ट सैल

छात्र/छात्राएं कैरियर एवं प्लेसमेन्ट सम्बन्धी जानकारी के लिए प्रोफे० अनिल कुमार वर्मा, डॉ० अभिषेक कुमार जायसवाल ए डॉ० प्रदीप कुमार तालान एवं श्री आस मौहम्मद से सम्पर्क करें।

महिला उत्पीड़न शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

उ०प्र० सरकार के शासनादेशों के सन्दर्भ में महाविद्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है जिसकी प्रभारी प्रोफे० साधना एवं डॉ० श्रीमती अखिलेश, डॉ० संतोष देवी एवं डॉ० रीना प्रताप सिंह, डॉ० मीनाक्षी चौहान सदस्या हैं। यदि किसी छात्रा के सा छेड़खानी/मानसिक उत्पीड़न आदि की घटना होती है तो वह महिला प्रकोष्ठ प्रभारी को इसकी सूचना तुरन्त दें, जिससे समयान्तर्ग कार्यवाही संभव हो सके।

सूचना प्रकोष्ठ/मीडिया सूचना सम्प्रेषण समिति

1. डॉ० अभिषेक कुमार जायसवाल (प्रभारी/प्रवक्ता)
2. प्रोफे० अनिल कुमार वर्मा
3. प्रोफे० अशोक कुमार
4. डॉ० जैनुल आबीदीन

विभागीय छात्र परिषद

प्रत्येक विभाग में छात्र परिषद का गठन किया जायेगा जिसके समन्वयक डॉ० प्रदीप कुमार तालान हैं।

छात्रवृत्तियां

आवेदन पत्र के साथ ही जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र तथा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशी की प्रमाणित छाया प्रतियां कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थी अपना खाता स्थानीय स्टेट बैंक में खुलवायें। छात्रवृ का धन विद्यार्थियों के खातों में सीधे शासन द्वारा जमा कराया जाता है। खाते में धन न आने की दशा में विद्यार्थी सीधे समाज कल्या विभाग से ही सम्पर्क करें। छात्रवृत्ति से सम्बन्धित जानकारी के लिए नोडल अधिकारी डॉ० दिनेश सिंह एवं कार्यालय अधीक्षक डॉ नवीन कुमार राजपूत से सम्पर्क करें।

अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति - डॉ० कुलदीप (प्रभारी) व श्री मुनीश कुमार (सदस्य)

अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग छात्रवृत्ति - प्रोफे० दिनेश सिंह (प्रभारी) व राजेन्द्र कुमार, लिपिक (सदस्य)

सामान्य जाति संवर्ग छात्रवृत्ति

प्रभारी श्रीमती अखिलेश एवं कार्यालय अधीक्षक डॉ नवीन कुमार राजपूत

नोट-छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले विद्यार्थी ध्यान रखें कि वे केवल एक ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें। विपरीत स्थिति की जानक होने पर अपात्रता हेतु वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

शुल्क-मुक्ति तथा छात्र सहायता कोष :-

1. विषय परिवर्तन, शुल्क-मुक्ति अथवा छात्र सहायता कोष से सहायता हेतु आवेदन-पत्र महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र ही स्वीकृत किये जायेंगे। इस हेतु घोषित अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन-पत्र नहीं लिये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र जमा करते समय सम्बन्धित लिपिक से इस आशय की रसीद प्राप्त कर ली जाये।
3. शुल्क-मुक्ति में खिलाड़ियों तथा ऊँची मैरिट के विद्यार्थियों को वरीयता दी जायेगी।
4. किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति पाने वाले को सामान्य: शुल्क मुक्ति या छात्र सहायता कोष से सहायता नहीं मिलेगी।
5. शुल्क-मुक्ति अथवा छात्र सहायता हेतु आवेदन-पत्र देने वाले विद्यार्थियों को सम्बन्धित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो अनिवार्य है।
6. सहायता कोष से शुल्क सहायता का निर्णय छात्र सहायता कोष समिति द्वारा किया जायेगा। जिन विद्यार्थियों को शुल्क-मुक्ति मिल चुकी उन्हें सामान्यत: छात्र सहायता कोष से सहायता नहीं दी जायेगी।
7. निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राओं के लिये जो महाविद्यालय शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें शिक्षा पूर्ण करने हेतु शिक्षण-शुल्क पूर्ण और अर्द्ध छूट की व्यवस्था है।
8. शुल्क में पूर्ण अथवा अर्द्ध छूट जो किसी छात्र/छात्रा को उसकी पात्रता आदि देखकर दी गई है तभी तक जारी रहेगी जब तक उसकी प्रग उपस्थिति और व्यवहार महाविद्यालय प्राचार्य, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के प्रति ठीक है। अनुशासनहीनता, अशिष्टता, अभद्र अथ उद्दण्डता का कोई अवांछनीय कृत्य होने पर वह शुल्क-मुक्ति अविलम्ब बन्द कर दी जायेगी।
9. जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की मासिक आय शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक पायी जायेगी। उन्हें शुल्क में कोई शु मुक्ति नहीं दी जायेगी।
10. शुल्क मुक्ति के इच्छुक छात्र/छात्रा जब अपने पिता अथवा संरक्षक की आय का प्रमाण-पत्र निर्धारित तिथि के भीतर कार्यालय में जमा देंगे तभी शुल्क मुक्ति का निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त हो सकेगा।
11. शुल्क में छूट चाहने वाले छात्र/छात्रा निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण रूपेण भरकर कार्यालय में जमा कर दें। ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अ शुल्क-मुक्ति के प्रपत्र पर अपने पिता या संरक्षक की आय को, जिसमें महंगाई-भत्ता आदि सम्मिलित हैं, विभागीय अधिकारी से प्रमाणित करा
12. यदि किसी विद्यार्थी से आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में धोखाधड़ी पकड़ी जाती है, तो उसे अन्य दण्ड के साथ महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

महाविद्यालय सुव्यवस्था हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

1. विद्यार्थियों द्वारा शुल्क काउन्टर पर फीस कर देने के पश्चात उन्हें वहाँ से शुल्क रसीद, परिचय-पत्र तथा स्लिप दी जायेगी। प्रवेश स्लिप प्र कर लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी उसे अपने सम्बन्धित प्राध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करके अपना अनुभाग (Section) सुनिश्चित करेगा। अ सेक्शन पता कर लेने के पश्चात सम्बन्धित प्राध्यापकों द्वारा हस्ताक्षरित स्लिप पुन: कार्यालय में जमा करानी होगी।
2. विषय चयन कर लेने के उपरान्त विषय परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस विषय से सम्बन्धित प्राध्यापकों की सहमति न हो प्राचार्य द्वारा अनुमति न दे दी जाये। विषय परिवर्तन निर्धारित आवेदन-पत्र पर ही हो सकेगा। महाविद्यालय में निर्धारित तिथि के उपरान्त विषय परिवर्तन नहीं होगा।
3. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु जब भी साक्षात्कार होगा, अभ्यर्थियों को उस समय प्रवेश समिति के समक्ष अपनी मूल अंक तालिका आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अंक तालिका/प्रमाण पत्र दिखाये बिना कोई प्रवेश स्थायी नहीं हो सकता।
4. महाविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी में छात्र/छात्राओं के कहने पर कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
5. विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर जब किसी विषय में एक से अधिक अनुभाग हो जायेंगे तब किस विद्यार्थी को किस अनुभाग में रहना होगा प्राचार्य निर्देश पर निर्भर होगा। अनुभाग परिवर्तन कराने हेतु छात्रगण प्राध्यापकों से अनावश्यक आग्रह न करें।
6. महाविद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी को धूम्रपान अथवा किसी अन्य मादक द्रव्य व्यसन या नशीली वस्तु के प्रयोग की अनुमति नहीं है
7. सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे रिक्त घण्टों में समय का सदुपयोग पुस्तकालय और वाचनालय में जाकर करें।
8. अनुशासनहीनता करने पर किसी भी छात्र/छात्रा को निलम्बित अथवा निष्कासित किया जा सकता है।
9. छात्राएं अपने खाली समय में छात्रा कॉमन रूम (Girl's Common Room) पुस्तकालय और वाचनालय का प्रयोग करें।
10. किसी भी छात्र/छात्रा का अनावश्यक रूप से व्याख्यान कक्षों, विभागीय कक्षों या प्राचार्य कार्यालय के सामने बरामदों में घूमना वर्जित है
11. महाविद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं से यह अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप ही महाविद्यालय परिसर में आचरण को छात्र/छात्राओं की सहयोगी और अनुशासनात्मक प्रवृत्ति से ही महाविद्यालय की प्रगति सम्भव है।

12. महाविद्यालय के संस्थागत छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त यदि कोई अन्य बाह्य व्यक्ति कार्यालय में अथवा प्राचार्य के पास किसी कार्य से आता है तो वह मुख्य द्वार से कार्यालय/प्राचार्य कक्ष में जाकर अपना कार्य सम्पन्न करायें। महाविद्यालय परिसर में अध्ययन के समय इनको घूमने की अनुमति नहीं होगी।
13. शासनादेशानुसार छात्र/छात्राओं के लिए महाविद्यालय कैम्पस में मोबाइल फोन पर प्रतिबन्ध रहेगा।
14. छात्र/छात्रायें महाविद्यालय द्वारा निर्धारित वेष में ही महाविद्यालय आयें। नये प्रवेशार्थी को प्रवेश लेने के एक माह के अन्दर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस बनवाना अनिवार्य होगा। पुराने छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा में प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह ड्रेस कोड में आयेंगे।
15. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा (चाहे वह लाइसेन्स धारक ही क्यों न हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र महाविद्यालय में लाना वर्जित है।
16. छात्र/छात्राओं को प्रवेश फार्म के साथ अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्रों, आधार कार्ड तथा पहचान पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

परिचय-पत्र *(I.Card)*

प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश लेते ही अपने परिचय-पत्र पर पासपोर्ट साइज की फोटो लगा कर सत्र प्रारम्भ होते ही मुख्य अनुशासक से अपने परिचय-पत्र पर हस्ताक्षर करा लेने चाहिये। प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय-पत्र प्रतिदिन अपने साथ रखना अनिवार्य है। हस्ताक्षरित परिचय-पत्र प्रस्तुत न करने पर परीक्षा फार्म जमा नहीं हो सकेगा। यदि कोई छात्र/छात्रा प्रवेश लेने के 20 दिन के अन्दर परिचय पत्र पर मुख्य अनुशासक के हस्ताक्षर नहीं कराता है तो उसे हस्ताक्षर कराने से पूर्व 100/- (एक सौ रूपये) अर्थदण्ड के रूप में जमा करना होगा।

परिचय-पत्र की चोरी होने अथवा खो जाने पर इस तथ्य की सूचना कोतवाली में प्राप्त कराने के बाद इसकी सूचना प्राचार्य व मुख्य अनुशासक(चीफ प्रॉक्टर) को शीघ्र देनी होगी। दूसरा परिचय-पत्र प्राचार्य की अनुमति उपरान्त दण्डस्वरूप पचास रूपये महाविद्यालय कार्यालय में जमा करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

पुस्तकालय विषयक नियम

1. नियमित विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि पुस्तकालय में प्रवेश लेने के लिए अपना परिचय-पत्र (I.Card) व पुस्तकालय कार्ड अवश्य लायें।
2. विद्यार्थियों को घर के लिए दो सप्ताह के लिये पुस्तक दी जाती हैं। इस अवधि के समाप्त हो जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से निश्चित अर्थदण्ड देय होगा।
3. पत्रिकायें, शब्द कोष, सन्दर्थ-ग्रन्थ और बहुमूल्य पुस्तकें वाचनालय में प्राप्त हो सकेंगी। ऐसी पुस्तकों को घर ले जाने की अनुमति नहीं है।

एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा निर्गमित निर्देश

1. एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परीक्षाऐं मार्च, 2023 के प्रथम सप्ताह से होना संभाव्य है।
2. कोई भी विद्यार्थी एक साथ विश्वविद्यालय की दो परीक्षायें नहीं दे सकेगा।
3. सम्बन्धित प्राध्यापक विद्यार्थियों की उपस्थिति विषयक सूचना प्रतिमाह प्राचार्य को देंगे जिससे उसे महाविद्यालय की वेबसाइड पर उपलोड किया जा सके।। विद्यार्थिओ को अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।
4. परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय में प्रेषित कर देने के उपरान्त यदि विद्यार्थी उस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो परीक्षा शुल्क वापिस नहीं होगा।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय द्वारा अपनी पात्रिका 'गुलाब प्रकीर्ति' का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें छात्र/छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रचनायें प्रकाशित हो रही हैं। इस पत्रिका की प्रधान सम्पादक डॉ० प्रदीप कुमार तालान हैं। अग्रिम सत्र में भी पत्रिका का प्रकाशन होगा अतः कोई कहानी, गीत, गजल, लेख आदि के प्रकाशन हेतु विद्यार्थी मुख्य सम्पादक डॉ० प्रदीप कुमार तालान (असि० प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग) से सम्पर्क स्थापित करें।

प्रतिभूति धनराशि (कॉशन मनी) की वापसी

गत वर्षों में जमा प्रतिभूति धनराशि वापसी हेतु छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर प्रत्येक सत्र में 31 दिसम्बर तक कार्यालय में जमा करना होगा। प्रतिभूति धनराशि चेक द्वारा वापिस कर दी जायेगी। यदि कोई छात्र प्रतिभूति धनराशि वापस लेने के लिए आवेदन नहीं करता है तो यह राशि शासनादेश पत्रांक 5125/15-11-86-87-4ए (45) 85 शिक्षा 11 अनुभाग दिनांक 10.07.86 के अनुसार कालातीत (Lapse) मानी जायेगी।

बी.ए.प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कुल स्वीकृत सीटों की संख्या 960 (800 वित्त संवर्ग तथा 160 स्ववित्त संवर्ग) एवं बी.कॉम प्रथम वर्ष- 120 है। स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र में 120, राजनीति विज्ञान में 80, हिन्दी में 60, अंग्रेजी में 80, भूगोल में 60, अर्थशास्त्र में 60 एवं उर्दू में 80 सीट है। शासनादेश के अनुरूप इनकी संख्या घट-बढ़ सकती है। उन्हीं के अनुरूप प्रवेश किये जायेंगे।

गुलाब सिंह हिन्दू कालेज
चान्दपुर-स्याऊ (बिजनौर)
संस्थापित : 1962

12. महाविद्यालय के संस्थागत छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त यदि कोई अन्य बाह्य व्यक्ति कार्यालय में अथवा प्राचार्य के पास किसी कार्य से आता है तो वह मुख्य द्वार से कार्यालय/प्राचार्य कक्ष में जाकर अपना कार्य सम्पन्न करायें। महाविद्यालय परिसर में अध्ययन के समय इनको घूमने की अनुमति नहीं होगी।
13. शासनादेशानुसार छात्र/छात्राओं के लिए महाविद्यालय कैम्पस में मोबाइल फोन पर प्रतिबन्ध रहेगा।
14. छात्र/छात्रायें महाविद्यालय द्वारा निर्धारित वेष में ही महाविद्यालय आयें। नये प्रवेशार्थी को प्रवेश लेने के एक माह के अन्दर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस बनवाना अनिवार्य होगा। पुराने छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा में प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह ड्रेस कोड में आयेंगे।
15. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा (चाहे वह लाइसेन्स धारक ही क्यों न हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र महाविद्यालय में लाना वर्जित है।
16. छात्र/छात्राओं को प्रवेश फार्म के साथ अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्रों, आधार कार्ड तथा पहचान पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

परिचय-पत्र *(I.Card)*

प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश लेते ही अपने परिचय-पत्र पर पासपोर्ट साइज की फोटो लगा कर सत्र प्रारम्भ होते ही मुख्य अनुशासक से अपने परिचय-पत्र पर हस्ताक्षर करा लेने चाहिये। प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय-पत्र प्रतिदिन अपने साथ रखना अनिवार्य है। हस्ताक्षरित परिचय-पत्र प्रस्तुत न करने पर परीक्षा फार्म जमा नहीं हो सकेगा। यदि कोई छात्र/छात्रा प्रवेश लेने के 20 दिन के अन्दर परिचय पत्र पर मुख्य अनुशासक के हस्ताक्षर नहीं कराता है तो उसे हस्ताक्षर कराने से पूर्व 100/-(एक सौ रूपये) अर्थदण्ड के रूप में जमा करना होगा।

परिचय-पत्र की चोरी होने अथवा खो जाने पर इस तथ्य की सूचना कोतवाली में प्राप्त कराने के बाद इसकी सूचना प्राचार्य व मुख्य अनुशासक(चीफ प्रॉक्टर) को शीघ्र देनी होगी। दूसरा परिचय-पत्र प्राचार्य की अनुमति उपरान्त दण्डस्वरूप पचास रूपये महाविद्यालय कार्यालय में जमा करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

पुस्तकालय विषयक नियम

1. नियमित विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि पुस्तकालय में प्रवेश लेने के लिए अपना परिचय-पत्र (I.Card) व पुस्तकालय कार्ड अवश्य लायें।
2. विद्यार्थियों को घर के लिए दो सप्ताह के लिये पुस्तक दी जाती हैं। इस अवधि के समाप्त हो जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से निश्चित अर्थदण्ड देय होगा।
3. पत्रिकायें, शब्द कोष, सन्दर्थ-ग्रन्थ और बहुमूल्य पुस्तकें वाचनालय में प्राप्त हो सकेंगी। ऐसी पुस्तकों को घर ले जाने की अनुमति नहीं है।

एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा निर्गमित निर्देश

1. एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परीक्षाऐं मार्च, 2023 के प्रथम सप्ताह से होना संभाव्य है।
2. कोई भी विद्यार्थी एक साथ विश्वविद्यालय की दो परीक्षायें नहीं दे सकेगा।
3. सम्बन्धित प्राध्यापक विद्यार्थियों की उपस्थिति विषयक सूचना प्रतिमाह प्राचार्य को देंगे जिससे उसे महाविद्यालय की वेबसाइड पर उपलोड किया जा सके। विद्यार्थियो को अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।
4. परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय में प्रेषित कर देने के उपरान्त यदि विद्यार्थी उस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो परीक्षा शुल्क वापिस नहीं होगा।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय द्वारा अपनी पात्रिका 'गुलाब प्रकीर्ति' का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें छात्र/छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रचनायें प्रकाशित हो रही हैं। इस पत्रिका की प्रधान सम्पादक डॉ० प्रदीप कुमार तालान हैं। अग्रिम सत्र में भी पत्रिका का प्रकाशन होगा। अतः कोई कहानी, गीत, गजल, लेख आदि के प्रकाशन हेतु विद्यार्थी मुख्य सम्पादक डॉ० प्रदीप कुमार तालान (असि० प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग) से सम्पर्क स्थापित करें।

प्रतिभूति धनराशि (कॉशन मनी) की वापसी

गत वर्षो में जमा प्रतिभूति धनराशि वापसी हेतु छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर प्रत्येक सत्र में 31 दिसम्बर तक कार्यालय में जमा करना होगा। प्रतिभूति धनराशि चैक द्वारा वापिस कर दी जायेगी। यदि कोई छात्र प्रतिभूति धनराशि वापस लेने के लिए आवेदन नहीं करता है तो यह राशि शासनादेश पत्रांक 5125/15-11-86-87-4ए (45) 85 शिक्षा 11 अनुभाग दिनांक 10.07.86 के अनुसार कालातीत (Lapse) मानी जायेगी।

बी.ए.प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कुल स्वीकृत सीटों की संख्या 960 (800 वित्त संवर्ग तथा 160 स्ववित्त संवर्ग) एवं बी.कॉम प्रथम वर्ष- 120 है स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र में 120, राजनीति विज्ञान में 80, हिन्दी में 60, अंग्रेजी में 80, भूगोल में 60, अर्थशास्त्र में 60 एवं उर्दू में 80 सीट हैं। शासनादेश के अनुरूप इनकी संख्या घट-बढ़ सकती है। उन्हीं के अनुरूप प्रवेश किये जायेंगे।

अति महत्वपूर्ण ध्यातव्य बिन्दु

1. सभी प्रवेश अस्थाई होते हैं। प्राचार्य कोई कारण दिये बिना भी प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।
2. प्रथम बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी स्थानान्तरण प्रमाण -पत्र (T.C.) व चरित्र प्रमाण -पत्र प्रवेश फार्म के साथ अवश्य लगायें।
3. समस्त संस्थागत छात्र/छात्राएं अपना विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म निश्चित समय में कार्यालय से प्राप्त करके तथा पूर्ण रू भरकर जमा कर रसीद प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर वे परीक्षा में सम्मिलित नही हो सकेंगे जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा।
4. महाविद्यालय में एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात कोई भी शुल्क वापिस नही होगा । विद्यार्थी इस विषय में सम्पर्क न करें।
5. महाविद्यालय में जो भी शुल्क जमा करें; उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें । बिना रसीद कोई भी शुल्क न दें।
6. महाविद्यालय में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कक्षायें संचालित होंगी।
7. कक्षाओं में शिक्षण कार्य सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश के पश्चात तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
8. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 4236/2014 वैभव मणि त्रिपाठी बनाम उत्तर सरकार व अन्य व पारित आदेश दिनांक 20/03/2014 के अनुपालन में प्रत्येक छात्र/छात्रा की कक्षाओं में 75 प्रति उपस्थिति अनिवार्य हैं। छात्र/छात्रा की उपस्थिति को प्रतिमाह शासन/विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा। मान कम उपस्थिति रहने पर विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नही हो सकेंगे।
9. महाविद्यालय में प्रत्येक विषय में छात्र परिषद हैं। प्रत्येक विषय में पूरे सत्र मे कई सेमिनार/गोष्ठियाँ आदि आयोजित की जाती हैं
10. महाविद्यालय में विभिन्न छात्र निधियों से सम्बन्धित समितियों का गठन किया जाता है जिनमें प्राध्यापकों के साथ-साथ छात्र/छात्राओं का भी 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहता है। फिर भी वांछित छात्र/छात्राएं प्रवेश के तुरन्त बाद प्राचार्य/समिति प्रभ सम्पर्क कर सकते हैं।
11. बी.ए./बी.कॉम तथा एम.ए. की सम सेमेस्टर की पेपर बैक परीक्षायें अग्रिम सम सेमेस्टर तथा विषम सेमेस्टर की बैक परी अग्रिम विषम सेमेस्टर में विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में होंगी।
12. प्रवेश हेतु प्रवेश फार्म के साथ हाई स्कूल व इण्टर की अंक तालिका तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की प्रमाणित छाया प्रति ही जायें, किसी भी दशा में मूल प्रति न लगायें। यदि आप अतिरिक्त भारांक के पात्र हैं तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की भी छाया प्र लगायें। फार्म के साथ संलग्न किसी प्रमाण पत्र की मूल प्रति खो जाने पर महाविद्यालय किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
13. महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था एवं स्वस्थ-अध्यापन को दृष्टिगत रखते हुए बिना कारण बताये प्राचार्य, चीफ प्रॉक्टर/ समिति किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश हेतु योग्य होने पर भी प्रवेश को अस्वीकार कर सकते है।
14. जिन विद्यार्थियों ने किसी भी पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है, उन्हें उसी पाठ की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
15. प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी जानकारी एवं कठिनाई निवारण के लिए प्राचार्य एवं डॉ० अनिल कुमार वर्मा से सम्पर्क कि सकता है
16. प्रवेश सम्बन्धी अन्तिम निर्णय का अधिकार सम्बन्धित प्रवेश समिति एवं प्राचार्या को होगा।

महाविद्यालय की वार्षिक कार्य योजना (2024-2025)

* जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से प्रवेश फार्म *(Prospectus)* का वितरण प्रारम्भ कर दिया जायेगा। स्नातक प्रथम वर्ष एवं एम.ए प्रथम वर्ष में सभी प्रवेश महाविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप किये जायेंगे। प्रवेश प्रक्रिया एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा निर्धारित तिथियों तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जायेगी।
* सभी कक्षाओं में 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर कक्षाओं में अध्यापन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी और प्रवे प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सभी कक्षाओं को महाविद्यालय समय सारणी के अनुसार विधिवत प्रारम्भ किया जायेगा।
* अक्टूबर-नवम्बर 2024 तक सभी विभागों की 'विभागीय परिषदें' गठित कर ली जायेंगी और इनके गठन के उपरान्त सभ विभागीय प्रभारीगण/संयोजक इसकी सूचना प्राचार्य/कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे।
* विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरवा कर विश्वविद्यालय में जमा किया जायेगा। नवम्बर माह में ही शुल्क मुक्ति, निर्धन छात्र सहायता राशि वितरण आदि का कार्य पूर्ण किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्ष सुधार फार्म प्राप्त होने पर इच्छुक विद्यार्थियों को दिये जायेंगे और उन्हें भरवा कर समयान्तर्गत विश्वविद्यालय में जमा किया जायेगा
* <u>20 सितम्बर को महाविद्यालय की संस्थापिका रानी कृष्णा कुमारी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यज्ञ/हवन आदि क आयोजन किया जायेगा।</u>
* छात्र/छात्राओं को विषय की अद्यतन जानकारी सुलभ कराने तथा उनकी अकादमिक गुणवत्ता को बढाने हेतु विभागी संगोष्ठियों/व्याख्यान मालाओं का प्रारम्भिक चरण 20 नवम्बर से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इनमें महाविद्यालय के अतिरि एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली एवं अन्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, समाजसे बुद्धिजीवियों/पत्रकारों/प्रशासकों आदि को रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया जायेगा, जिससे शिक्षार्थियों के विषय सम्ब ज्ञान का और अधिक परिवर्धन हो सकेगा।
* विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित तिथियों में परीक्षा सुधार परीक्षा 2024 सम्पन्न करायी जायेंगी।
* <u>10 दिसम्बर को स्व० कुँवर महीपाल सिंह जी आजीवन अध्यक्ष की पुण्यतिथि पर हवन/यज्ञ का आयोजन किया जायेगा।</u> दिसम्बर-जनवरी में महाविद्यालय की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगितायें सम्पन्न करायी जायेंगी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना का स दिवसीय विशेष शिविर शासन द्वारा निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के प दिसवीय शिविर भी शासन द्वारा निश्चित तिथियों में सम्पन्न कराये जायेंगे।
* दिसम्बर-जनवरी में विद्यार्थियों द्वारा स्वयं विभागीय संगोष्ठियों/व्याख्यान मालाओं/वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयो किया जायेगा, ताकि विद्यार्थियों में प्रतियोगिता प्रतिभागिता की कौशलता के साथ-साथ उनका सर्वतोन्मुखी विकास हो सके।
* <u>16 फरवरी को राजा गुलाब सिंह जी की जयन्ती के उपलक्ष्य में यज्ञ/हवन का आयोजन किया जायेगा और इस अवसर पर राष् सेवा योजना, क्रीड़ा, एन0सी0सी0 आदि के मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जायेगा।</u>
* फरवरी माह में भूगोल के बी0ए0 तृतीय वर्ष के छात्र/छात्राओं का यात्रा परिभ्रमण कार्यक्रम पूर्ण कर सभी कक्षाओं की प्रायोि परीक्षायें पूर्ण करायी जायेंगी।
* एन0सी0सी0 की सम्पूर्ण गतिविधियां शासन/एन0सी0सी0 हैड क्वाटर्स से प्राप्त तिथियों में सत्रान्तर्गत लेफ्टी0 डॉ0 अशोक कु द्वारा पूर्ण करायी जायेगी।
* एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सेमेस्टर परीक्षायें सम्पन्न क जायेंगी।
* नोट-महाविद्यालय की यह वार्षिक कार्य योजना पूर्णतः प्रयोजनात्मक है। इसमें पस्थितियों एवं आवश्यकतानु परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

कम्प्यूटर स्किल प्रकोष्ठ

डॉ० कुलदीप (संयोजक)
डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह (सदस्य)
मौ० सुलेमान (सदस्य)

सांस्कृतिक समिति

श्रीमती अखिलेश (संयोजिका)
डॉ० मौ० साज़िद अंसारी (सह-संयोजक)
श्री सन्नी कुमार (सदस्य)
डॉ० सन्तोष देवी (सदस्या)
डॉ० मीनाक्षी चौहान (सदस्य)
डॉ० उदिता राजपूत (सदस्य)

सेमीनार समिति

डॉ० श्रीमती अखिलेश (संयोजिका)
डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह (सदस्य)
डॉ० अमित पुण्डीर (सदस्य)
मौ० सलीम (सदस्य)
डॉ० देवेश कुमार (सदस्य)

हैप्पीनेस-क्लास समिति

डॉ० प्रदीप कुमार तालान (संयोजक)
डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह (सदस्य)
डॉ० उदिता राजपूत (सदस्य)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) समिति

प्रो० महीपाल सिंह (संयोजक)
डॉ० विनोद कुमार (सदस्य)
मौ० आरिफ (सदस्य)
श्री अमित कुमार मलिक (सदस्य)
श्री सुरेन्द्र सिंह (सदस्य)

प्राथमिक उपचार/कोरोना चिकित्सा समिति

डॉ० मीनाक्षी चौहान (संयोजिका)
श्री मौ० सलीम (सदस्य)
डॉ० सन्तोष देवी (सदस्या)
डॉ० कुलदीप (सदस्य)

परिचय पत्र समिति

डॉ० देवेश कुमार (संयोजक)
प्रो० अशोक कुमार (सदस्य)
डॉ० मीनाक्षी (सदस्य)

वेबसाइट नेटवर्किंग/सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समिति

डॉ० कुलदीप (समन्वयक)
प्रो० अनिल कुमार वर्मा (सदस्य)
डॉ० मौ० साजिद अंसारी (सदस्य)
श्री आस मौहम्मद (सदस्य)
डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह (सदस्य)

विभागीय छात्र परिषद

डॉ० जैनुल आबीदीन (संयोजक)
डॉ० कुलदीप (सदस्य)
मौ० मौहम्मद आरिफ (सदस्य)

ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS प्रकोष्ठ

डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह (संयोजक)
डॉ० प्रदीप कुमार तालान (सह-संयोजक)
श्री अरविन्द कुमार (सदस्य)
मौ० सुलेमान (सदस्य)

स्वच्छता समिति

श्री सुरेन्द्र सिंह (संयोजक)
श्री रामविलास यादव (सह-संयोजक)
श्री आस मौहम्मद (सदस्य)

भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ

डॉ० देवेश कुमार (संयोजक)
डॉ० प्रदीप कुमार तालान (सदस्य)
डॉ० जैनुल आबीदीन (सदस्य)
डॉ० अमित कुमार पुण्डीर (सदस्य)
श्री राम विलास यादव (सदस्य)

निर्धन छात्र कोष समिति

डॉ० रामविलास यादव (संयोजक)
डॉ० कुलदीप (सदस्य)
मौ० आरिफ (सदस्य)
श्री सुरेन्द्र सिंह (सदस्य)

पूर्व छात्र-परिषद

प्रोफे० दिनेश सिंह (संयोजक)
प्रोफे० अनिल कुमार वर्मा (सदस्य)
डॉ० जैनुल आबीदीन (सदस्य)
डॉ० देवेश कुमार (सदस्य)
डॉ० संतोष देवी (सदस्या)

कम्प्यूनिकेशन-स्किल एवं इंग्लिश-स्पोकेन प्रकोष्ठ

डॉ० मौ० साजिद अंसारी (संयोजक)
श्री कुलदीप (सह-संयोजक)
श्री आस मौहम्मद (सदस्य)
श्री मौहम्मद आरिफ (सदस्य)
डॉ० उदिता राजपूत (सदस्या)

प्रोस्पैक्टस समिति

प्रो० अनिल कुमार वर्मा (संयोजक)
प्रो० अशोक कुमार (सदस्य)
डॉ० श्रीमती अखिलेश (सदस्य)
डॉ० प्रदीप कुमार तालान (सदस्य)
डॉ० नवीन कुमार राजपूत (सदस्य)

शिक्षक-अभिभावक संपर्क समिति

डॉ० अशोक कुमार (संयोजक)
डॉ० श्रीमती अखिलेश (सदस्या)
डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह (सदस्य)
डॉ० साजिद अंसारी (सदस्य)
डॉ० जैनुल आबीदीन (सदस्य)
डॉ० देवेश कुमार (सदस्य)

गुलाब सिंह हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय चान्दपुर-स्याऊ (बिजनौर)

प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र (सत्र-) 2123

असतो मा सद्गमय
गुलाब सिंह हिन्दू कालेज
चान्दपुर-स्याऊ (बिजनौर)
संस्थापित : 1962

प्रवेश हेतु कक्षा.................. सेमेस्टर.................... पंजीकरण संख्या ....

(बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष एवं एम.ए. पूर्वार्द्ध के छात्र/छात्राएं पंजीकरण संख्या अवश्य लिखें।)

प्रवेशार्थी अपना नवीनतम फोटो यहाँ चिपकाएें

1. छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में) (हाई स्कूल के अनुसार)..
   (अंग्रेजी के CAPITAL अक्षरों में)..
2. पिता का नाम .... व्यवसाय .... वार्षिक आय रू० ....
3. अभिभावक का नाम .... अभ्यर्थी से सम्बन्ध .... माता का नाम ....
4. पूरा पता ....
5. फोन/मोबाइल नं० .... जन्म तिथि ....
6. मातृ भाषा .... राष्ट्रीयता .... धर्म .... जाति .... वर्ग-एस.सी./एस.टी., EWS, ओ.बी.सी., सामा
   (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/ स्वतंत्रता सेनानी अथवा भूतपूर्व सैनिक-आश्रित अथवा विकलांग आरक्षण हेतु प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
7. पूर्व शिक्षण संस्था का नाम जहाँ अध्ययन किया.. अध्ययन वर्ष........................
8. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण (प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/ स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

परीक्षा	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक		प्रतिशत	श्रेणी	बोर्ड/विश्वविद्यालय	संस्था का नाम	विषय
हाईस्कूल								
इन्टरमीडिएट								
स्नातक प्रथम वर्ष								
स्नातक द्वितीय वर्ष								
स्नातक तृतीय वर्ष								
एम.ए. (पूर्वार्द्ध)								
अन्य								

9. स्नातक वर्ग (विषय)
   1. .... 2. .... 3. ....
   4. .... 5. .... 6. ....
10. परास्नातक : 1. ....
11. बैंक खाता संख्या : .... बैंक का नाम : ....
    आधार कार्ड संख्या : .... पहचान पत्र संख्या : ....
    ई-मेल : ....

पुरातन छात्र/छात्रा अवश्य लिखें :-

एस. आर. नं० बी०ए० / एम०ए० ________

<u>प्रवेशार्थ अर्ह प्रतिशतता</u>

प्राप्त प्रतिशत ....
अन्तराल कटौती ....
भारांक ....
कुल प्रतिशत ....
दिनांक ....

प्रवेश शुल्क का विवरण

प्रवेश की तिथि .... प्रवेश क्रमांक ....

शुल्क ....

प्राचार्या संयोजक प्रवेश समिति

हस्ताक्षर शुल्क प्राप्तक

गुलाब सिंह हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय चान्दपुर-स्याऊ (बिजनौर)

चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के प्रयोग हेतु (सत्र-2024-2025)

छात्र/छात्रा का नाम ______________________ मोबाइल नं० ______________

पिता /अभिभावक का नाम ______________________ मोबाइल नं० ______________

कक्षा ______________ भाग ______________

विषय 1. ______________ 2. ______________

3. ______________ 4. ______________

5. ______________ 6. ______________

पत्राचार हेतु पताः ______________________

निवास स्थान की महाविद्यालय से दूरी ______________________

दूरभाष सं० (कोड सहित)

प्रवेशार्थी अपना नवीनतम फोटो यहाँ चिपकाएँ

प्रवेशार्थी अपने पिता/अभिभावक का नवीनतम फ़ोटो यहाँ चिपकाए

शपथ पत्र

मैं.............................पुत्र/पुत्री श्री ....

कक्षा .... भाग .... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

1. मुझे न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी/अन्य मामलों में दण्डित किया गया हैं ? हाँ/नहीं ....
2. मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी/अन्य मामला विचाराधीन हैं? हाँ/नहीं ....
3. मैं जिस कक्षा में प्रवेश पाना चाहता/चाहती हूँ उसमें किसी वर्ष अनुत्तीर्ण रहा/रही हूँ ? हाँ/नहीं ....
4. मैं किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी विभाग में नौकरी कर रहा/रही हूँ? हाँ/नहीं ....

यदि उत्तर हाँ हैं तो सम्बन्धित विभाग विभाग, का विवरण एवं अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्रस्तुत करें।

विभाग का विवरण...

उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। किसी सूचना के अपूर्ण या / असत्य जाने पर कॉलेज प्रवेश रद्द कर सकता हैं और इस संबंध में मुझे संबधित अधिकारियों का निर्णय मान्य होगा तथा मुझे/मेरेपिता/पति/अभिभावक का निर्णय को किसी प्रकार की चुनौती देने का कोई अधिकार नही होगा। यदि मुझे कॉलेज में प्रवेश मिलता है तो मैं विश्वविद्यालय एवं महाविद्या के समस्त नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। कक्षाओं में मेरी उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत रहेगी। कम उपस्थिति रहने पर महाविद्यालय प्रशासन यह अधिकार होगा कि वह मुझे विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से वंचित कर दे, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। नियमित रूप से कक्षाओं आने पर महाविद्यालय द्वारा मेरे सम्बंध में लिया गया प्रत्येक निर्णय/दण्ड मुझे स्वीकार होगा।

छात्र/छात्रा के हस्त

मेरे पाल्य/पाल्या द्वारा दिये गये शपथ पत्र में निहित सभी प्रावधानों /शपथ से मैं पूर्णतः सहमत एवं वचनबद्ध हूँ।

पिता/अभिभावक के हस्त

सत्यापन

मुख्य अनुशासक के हस्त

प्रवेश प्रभारी के हस्ताक्षर

कार्यालय सूचना

छात्र/छात्रा का नाम..मो. नं. ....

पिता/अभिभावक का नाम ....मो. नं. ....

ई-मेल आई० डी० ....

कक्षा ....

विषय- 1 .... 2 .... 3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

प्रिय महोदय,

1. आपके पाल्य/पाल्या ने महाविद्यालय में छात्रवृत्ति फार्म/विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म अभी तक नही भरा है।
2. आपका पाल्य/पाल्या महाविद्यालय की कक्षाओं में उपस्थित नही हो रहा/रही है।
3. 75 प्रतिशत उपस्थिति न होने पर उसे विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है।
4. आपके पाल्य/पाल्या ने महाविद्यालय में अनुशासन हीनता की है अतः उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा रहा है।
5. आपके पाल्य/पाल्या द्वारा ....शुल्क जमा नहीं किया गया है उसे तुरन्त महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करें।

प्राचार्या

कार्यालय सूचना

छात्र/छात्रा का नाम..मो. नं. ....

पिता/अभिभावक का नाम ....मो. नं. ....

ई-मेल आई० डी० ....

कक्षा ....

विषय- 1 .... 2 .... 3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

प्रिय महोदय,

1. आपके पाल्य/पाल्या ने महाविद्यालय में छात्रवृत्ति फार्म/विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म अभी तक नही भरा है।
2. आपका पाल्य/पाल्या महाविद्यालय की कक्षाओं में उपस्थित नही हो रहा/रही है।
3. 75 प्रतिशत उपस्थिति न होने पर उसे विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है।
4. आपके पाल्य/पाल्या ने महाविद्यालय में अनुशासन हीनता की है अतः उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा रहा है।
5. आपके पाल्य/पाल्या द्वारा ....शुल्क जमा नहीं किया गया है उसे तुरन्त महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करें।

प्राचार्या

महाविद्यालय शिक्षक संवर्ग

01 **प्रो० साधना** (प्रो. हिन्दी विभाग) कार्यवाहक प्राचार्या
02 **प्रो० अनिल कुमार वर्मा** (प्रो. एवं प्रभारी समाजशास्त्र विभाग)
03 **प्रो० दिनेश सिंह** (प्रो. एवं प्रभारी राजनीतिशास्त्र विभाग)
04 **ले० प्रो० अशोक कुमार** (प्रो. एवं प्रभारी शारीरिक शिक्षा)
05 **प्रो० महीपाल सिंह** (प्रो. एवं प्रभारी भूगोल विभाग)
06 **डॉ० जैनुल आबीदीन** (असि. प्रोफेसर उर्दू विभाग)
07 **डॉ० श्रीमती अखिलेश** (असि. प्रोफेसर. समाजशास्त्र विभाग)
08 **डॉ० विनोद कुमार** (असि. प्रोफेसर भूगोल विभाग)
09 **डॉ० प्रदीप कुमार तालान** (असि. प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग)
10 **डॉ० कुलदीप** (असि. प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग)
11 **श्री सन्नी कुमार** (असि. प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग)
12 **डॉ० मौ० साजिद अंसारी** (असि. प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग)
13 **श्री आस मौहम्मद** (असि. प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग)
14 **श्री मौहम्मद आरिफ** (असि. प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग)
15 **डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह** (असि. प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग)
16 **श्री सुरेन्द्र सिंह** (असि. प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग)
17 **डॉ० अमित कुमार** (असि. प्रोफेसर संस्कृत विभाग)
18 **श्री राम विलास यादव** (असि. प्रोफेसर हिन्दी विभाग)
19 **मौहम्मद सलीम** (असि. प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग)
20 **मौहम्मद सुलेमान** (असि. प्रोफेसर राजनीतिशास्त्र विभाग)
21 **श्री अमित कुमार** (असि. प्रोफेसर राजनीतिशास्त्र विभाग)
22 **डॉ० देवेश कुमार** (असि. प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग)
23 **श्री अरविन्द कुमार** (असि. प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग)

प्रबन्धकीय अंशकालिक प्रवक्ता संवर्ग

विभिन्न विषयों में अध्यापन हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्था समिति द्वारा की जानी है।

प्राध्यापक स्ववित्त पोषित संवर्ग

01 **डॉ० रेखा सिसौदिया** (अंग्रेजी विभाग)
02 **डॉ० संतोष देवी** (अर्थशास्त्र विभाग)
03 **डॉ० निधि भटनागर** (वाणिज्य विभाग)
04 **डॉ० राजकुमार** (भूगोल विभाग)
05 **डॉ० मीनाक्षी चौहान** (अर्थशास्त्र विभाग)
06 **डॉ० ममतेश** (गृह विज्ञान विभाग)
07 **डॉ० उदिता राजपूत** (अंग्रेजी विभाग)

शिक्षणेत्तर सवंर्ग (लिपिक)

01 **डॉ० नवीन कुमार राजपूत (कार्यालय अधीक्षक)**
02 **श्री सौरभ चौहान (लिपिक)**
03 **श्रीमती ज्योति (नैत्यिक लिपिक)**

शिक्षणेत्तर सवंर्ग (कार्यपालक)

01 **श्री कुलदीप (कार्यपालक)**
02 **श्री मनोज कुमार (कार्यपालक)**
03 **श्री कमल कुमार (कार्यपालक)**
04 **श्री सोनू कुमार (माली)**
05 **श्री धर्मेन्द्र कुमार (सफाईकर्मी)**

अंशकालिक/ स्ववित्तपोषित शिक्षणेत्तर संवर्ग (लिपिक)

01 **श्री राजेश श्रीवास्तव (लिपिक)**
02 **श्री कुलदीप कुमार (लिपिक)**
03 **श्री सौरभ चौहान (लिपिक)**
04 **श्री पूरन प्रकाश (लिपिक)**

अंशकालिक/स्ववित्तपोषित शिक्षणेत्तर संवर्ग (कार्यपालक)

01 **श्री रवि कुमार (कार्यपालक)**
02 **श्री मोहित कुमार (सफाई कर्मी)**
03 **श्री जबर सिंह (कार्यपालक)**
04 **श्री लव कुश (कार्यपालक)**
05 **श्री संजय शर्मा (कार्यपालक)**
06 **श्री रोहित कुमार (कार्यपालक)**
07 **श्री काकवेन्द्र (कार्यपालक)**
08 **श्री धीर सिंह (कार्यपालक)**
09 **श्री सतेन्द्र कुमार (कार्यपालक)**

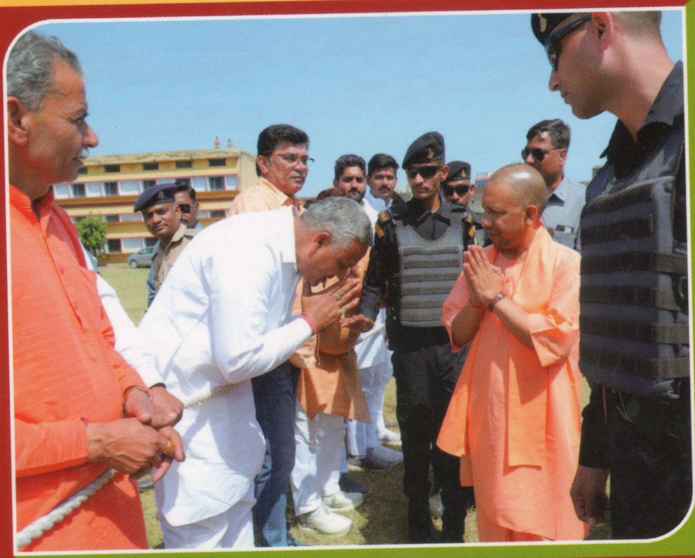

Printed By: Goel Traders, Chandpur